

9
27/10/21

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुकाम रायसिंहनगर
फरद अहकाम (नियम 26)
भोगेश कुमार बनाम सरकार
किसा मुकदमा 136 एल आर एक्ट नम्बर 115 सन् 2021
जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
27.10.21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रिपोर्टर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/280 दिनांक <u>27.10.21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>श्यामगढ़</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>G/N.P.</u> की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>41</u> में</p> <p><u>भोगेश कुमार जाखड़</u> & <u>लाधूराम</u> <u>हिस्सा 1/3</u> के स्थान पर <u>भोगेश कुमार जाखड़</u> & <u>लाधूराम 1/3 हिस्सा</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रिपोर्टर</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर चक <u>G/N.P.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध <u>2075-2078</u> के खाता सं. <u>41</u> में <u>भोगेश कुमार</u> <u>जाखड़</u> & <u>लाधूराम हिस्सा 1/3</u> के स्थान पर <u>भोगेश कुमार जाखड़</u> & <u>लाधूराम</u> <u>हिस्सा 1/3</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में नुमांर होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर